

पत्रावली आदि प्रार्थी) वादी अधिवक्ता  
 के प्रा.पत्र शालीनामा पर लख  
 कि गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र  
 एवं अध्याय का पैका किया कि  
 अन्यान्य प्रकार में वादी/प्रार्थी का  
 प्रतिवादी विपक्षीगण के साथ जोड़  
 राष्ट्रीय लोक अदालत की  
 मानना से शालीनामा हो गया <sup>Id by me</sup>  
 है शालीनामा अनुसार में वादी/ <sup>Sumit Kumar</sup>  
 प्रार्थी एवं प्रकार में अब कोई <sup>(अध्याय 2/1)</sup>  
 कार्यवाही नहीं चलाने अर्थात्  
 मुक्त प्रार्थी/वादी द्वारा अन  
 विपक्षीगण प्रतिवादी के अध्या  
 किसी प्रकार का कार्य लेन  
 पैका का वाद विवाद शेष  
 नहीं रहा है। स्थानीय प्रकार  
 रानी शर पर शेष परमाणा  
 जाते। वादी अधिवक्ता के प्रा.पत्र  
 के आधार पर उक्त प्रकार  
 में शालीनामा हो जाने से रानी  
 शर पर शेष किया जाता है।  
 पत्रावली ~~अंश~~ ~~अंश~~ ~~होकर~~  
 फाइल ~~अंश~~ ~~हो~~

उपखण्ड अधिकारी  
 इमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

